न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12/2022

जीसीएमएस नं. :– **2022/174**

सुखदेव सिंह पुत्र बगीचा सिंह उम्र 64 वर्ष निवासी 1 एल.एस.एम. (बाण्डा कॉलोनी) तहसील व जिला अनूपगढ़।

–– प्रार्थी

बनाम्

1. ख्यालीराम पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी 1 एल.एस.एम. (बाण्डा कॉलोनी) तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी 1 एल.एस.एम. (बाण्डा कॉलोनी) तहसील व जिला अनूपगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 18.07.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से चक 3 एल.एस.एम. का मु.नं. 49 प.नं. 293/403 के कि.नं. 25/0.253 अनकमाण्ड व मु.नं. 35 के प.नं. 294/400 के कि.नं. 24/0.253, 25/1 का 0.228 अनकमाण्ड व 25/2 का 0.025 खाला कुल 0.759 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के लिए कोई विद्यमान रिकार्डशुदा मार्ग नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:32:02 IST
Reason: SelfAttested

अनावेदकगण मे से **आवेदक सं. 1** के नाम से चक 3 एल.एस.एम. तहसील अनूपगढ़ का मु.न. 35 पं.न. 294/400 का कि.न. 1/2 का 0.241, 2, 3, 4 प्रत्येक 0.253, 5/1 का 0.227, 5/2 का 0.026, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025, 7, 8, 9 प्रत्येक 0.253, 10/2 का 0.240, 15/2 का 0.012, 16/2 का 0.013 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि एवं **आवेदक सं. 2** के नाम से इसी मुरब्बा का कि.न. 1/2 का 0.012, 10/1 का 0.013, 1 ता 14 प्रत्येक 0.253, 15/1 का 0.216, 15/3 का 0.025, 16/1 का

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

0.215, 16/3 का 0.025, 17, ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि अनावेदकगण के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है। जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलग्नं है। अनावेदकगण के अधिकार व अधिपत्य की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ के 3 एल एस एम तहसील अनूपगढ का मु.न 35 पं.न. 294/400 का कि.न. 5,6,15,16 में खाला की तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता पक्की सडक 4 के ए एस आबादी में जाने वाली सडक पर खुलता है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि कि.न. 25 में प्रवेश कर सकेगा तथा जो रास्ता रास्ता आम (पक्की सडक) से जुड जाऐगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगा क्योकिं आवेदक को अपनी भूमि में आने जाने के लिऐ कोई भी रास्ता नंही है और ना ही कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिस कारण आवेदक को अपनी भूमि में आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है नजरी नक्शा सलग्नं है। आवेदक की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ वर्तमान में कोई मार्ग नंही है आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है तथा जिसकी आवेदक को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिऐ आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदक ने अपनी उक्त कृषि भूमि में के लिऐ उक्त अनावेदक से अरसा पाचं दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गये और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वे आवेदक को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 5,6,15,16 मे से कोई रास्ता नही देगें इसलिए आवेदन पेश है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि चक 3 एल एस एम तहसील अनूपगढ का मु.न.35 पं.न.294/400 का कि. न.24 का 0.253, 25/1 का 0.228 अ.क., 25/2 का 0.025 खाला कुल 0.506 हैक्टर में आवागमन के लिऐ अनावेदकगण के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की तहसील अनूपगढ के चक 3 एल एस एम का मु.न 35 पं.न. 294/400 का कि.न. 5,6,15,16 में खाला की तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ प्रार्थीया के नाम से चक 3 एल.एस. एम. के मु.न. 35 प.न. 294/400 के वादी सुख[illegible] रकबा है व शेष 1 ता 20 प्रतिवादी ख्यालीराम व सोहनलाल के नाम से है व मौका [illegible] काश्त करते हैं। उक्त रकबा के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक 0.025 हैक्टे. रकबा [illegible] खाला स्वीकृतशुदा है व मौका पर उपयोग में है। प्रार्थी को अपने ख[illegible]4/399 के कि.न. 21 ता 25 के स्वीकृतशुदा रास्ता से अपने खेत कि.न. 24 व 25 में आने जाने के लिए कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक के पूर्वी सीमा पर एक–एक बिस्वा रास्ता चाहा है। मौका पर उस सीमा पर स्वीकृतशुदा पक्का खाला है प्रार्थी वर्तमान में उक्त रकबा के कि.न. 21 से जो नहर के पटड़ा से चिपता है से आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थी को इस नहर के पटड़ा के अतिरिक्त अवाजाही

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़
Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:32:02 IST
Reason: SelfAttested

हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त कि.न. 5, 6, 15, 16 में से होकर ही निकटतम रास्ता है। रकबा पर कोई स्थगन दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए प.न. 294/399 के कि.न. 21 ता 25 के स्वीकृतशुदा रास्ता से अपने खेत कि.न. 24 व 25 में आने जाने के लिए कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक के पूर्वी सीमा पर एक–एक बिस्वा रास्ता चाहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीया को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी. एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि प.न. 294/400 के कि.न. 24 व 25 में आने जाने के लिए कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक के पूर्वी सीमा पर एक–एक बिस्वा अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों** (डी.एल.सी.दर) **के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें रास्ता में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **18.07.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:32:02 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़ सत्यमेव जयते